न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 68/2020
GCMS NO. : 2020/00097

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. डूंगाराम पुत्र ढगलाराम 2. रामेश्वरलाल पुत्र ढगलाराम 3. श्यामलाल पुत्र ढगलाराम जाति– कुम्हार(प्रजापत) निवासी– निमाज, जैतारण, तहसील–जैतारण जिला–पाली।		1. अम्बालाल पुत्र चौथाराम जाति– बावरी, निवासी– जैतारण 2. तहसीलदार, जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी तारीख रजूः 18/06/2020

उपस्थित

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 23/12/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण में सायलान की खातेदारी एंव कब्जा काश्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 488/1006 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 व नक्शा ट्रेस पेश हैं। सायलान की खातेदारी की भूमि/खेत को सायलान द्वारा प्रस्तुत नक्शे में पीलें रंग से दशार्या है। जिस पर वक्त खरीद आज दिन तक अर्थात पिछलें 31 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। खेत अपनी खातेदारी की भूमि को के चारों और खन्दक है। सायलान उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। सायलान के खातेदारी के खेत के पश्चिम में मेगा हाइवें सड़क रायपुर से मेड़ता निकलती है। सड़क निकलने से सायलान की भूमि मूल्यवान हो गई, सायलान के खेत की खन्दक को खुद बुर्द कर पश्चिमी [illegible] ई, जिसें नजरी नक्शें में हरे रंग से ए, बी, सी, डी बताया है व उ[illegible] राज्य भूमि के भूभाग 40 गुणा 40 लम्बाई चौड़ाई जिसे नक्शे में लाल रंग से [illegible] ई, एफ पर गैरसायल संख्या 1 का विधिपूर्ण प्राधिकार नहीं होते हुये दिनांक [illegible].06.2020 को अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया, सायलान को जानकारी होने प[illegible]रसायल संख्या 1 को किये गये अतिक्रमण के भू–भाग से कब्जा हटाने हेतु कहा तो गैरसायल नें अतिक्रमण किये गये भू–भाग पर कच्चा/पक्का निर्माण करने की धमकी दी व सायलान को एसीएसटी झूठे मुकदमा में फसाने की धमकी दी, तब वादी संख्या 2 ने गैरसायल संख्या 1 के विरुद्ध पुलिस थाना जैतारण में भी कार्यवाही की। सायलान नें गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन,
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

या 1 द्वारा किये गये राज्य सरकार की भूमि पर अतिक्रमण को हटानें बाबत सायल संख्या 2 को निवेदन करने पर समक्ष न्यायालय मे कार्यवाही करने हेतु कहा तब सायलान में यह प्रार्थना पत्र बेदखली को विरुद्ध गैरसायल के पक्ष है। सायलान की खातेदारी की भूमि पर व राज्य सरकार की भूमि गैरसायल संख्या 1 का अतिक्रमण कायम रहता है व उस पर नया कच्चा पक्का निर्माण कर लेता है तो सायलान अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग व अपने हक अधिकारों से मेहरूम होना पड़ेगा व असीम हानि होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में भी नहीं आंका जा सकेगा। सायलान की भूमि की किमतें भी कम हो जायेगी। इसलिए सायलान द्वारा गैरसायल संख्या 1 के विरुद्ध किये गये भू-भाग पर अतिक्रमण कर कब्जा किया उसे हटाने बाबत व अतिक्रमण के भूभाग पर नया कच्चा पक्का निर्माण रोकने बाबत सायलान में यह प्रार्थना पत्र बेदखली एंव अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश हैं। सायलान की खातेदारी की भूमि पर गैरसायल संख्या 1 द्वारा किये गये भूभाग पर अतिक्रमण करने से सायलान उस हिस्से पर काश्त करने से वंचित होगा, उसका मुआवजा लगान का 15 गुणा गैरसायल संख्या 1 से प्राप्त करने का अधिकारी है, जो मुआवजा राशि प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक से बेदखली तक प्राप्त करने का अधिकारी है। मेगा हाईवें सड़क के भू-भाग से सायलान की खातेदारी के खेत के बीच के भू-भाग पर जो गैरसायल संख्या 1 ने अतिक्रमण किया है उस पर एलआरएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवानें बाबत् आदेश गैरसायल संख्या 2 को दिया जावें व शास्ति भी वसूल की जायें। सायलान की खातेदारी की भूमि के पश्चिम दिशा में जो सड़क व सायलान की खेत की खन्दक के बीच राज्य भूमि पर गैरसायल संख्या 1 ने अतिक्रमण किया उसे हटाने हेतु तहसीलदार जैतारण ही सक्षम अधिकारी होने से उन्हें गैरसायल संख्या 2 पक्षकार बनाया है। सायलान के शपथ पत्र राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति से सायलान के पक्ष में प्रथमदृष्टिया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है। सायलान की खातेदारी के खेत के पश्चिमी दिशा की खन्दक को खुर्द बुर्द कर सायलान के खेत के भू-भाग तथा सायलान के खेत की खन्दक व सड़क के बीच के भू-भाग जो राज्य भूमि है। जिस पर गैरसायल संख्या 1 में बिना किसी हक व प्राधिकार कब्जा कायम रहता है तथा उस पर कोई नया कच्चा व पक्का निर्माण कर लेता है तो सायलान को असिम हानि होगी जिसका किसी सूरत में मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगों, उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु तहसीलदार जैतारण को भी निवेदन करने पर समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा इसलिए सायलान के पक्ष में विरुद्ध गैरसायलान अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने बाबत् यह प्रार्थना [illegible] अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस नजरी नक्शा पेश [illegible] है कि सहरद मौजा जैतारण में स्थित खसरान नम्बर 48[illegible] सायलान की खातेदारी के खेत पर जिसें नजरी नक्शे में हरे रंग से ए, बी, सी, डी, व उसके पास की राज्य भूमि जिसें नजरी नक्शे में सी, डी, ई, एफ, लाल [illegible] से बताया है के भू-भाग पर गैरसायल संख्या 1 द्वारा किये गये अतिक्रमण से बेदखल कर सायलान के हिस्सें कि भूमि का कब्जा दिया जावें व राज्य भूमि पर किये गये अतिक्रमण से बेदखल कर उक्त भूमि राज्य तहवील में लिया जावें तथा अतिक्रमण किये गये भू-भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

, सी, डी, ई, एफ, पर किसी प्रकार का नया कच्चा पक्का निर्माण करने से अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश रित करावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्यो सायलान स्वयं साबित करे। साथ ही यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि मौजा रतनपुरा पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 3/2 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा के काबिज खातेदार काश्त मोहनलाल जाट व अन्य रहे है। जिसमें कुछ भू भाग एन एच 458 के लिये राज्य सरकार द्वारा अवाप्त करने के बाद शेष रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा बचा है। उक्त भूमि मोहनलाल जाट व अन्य द्वारा काश्त के प्रयोजनार्थ जवाब देहन्दा अम्बालाल को सोपी हुई है। इस प्रकार से जवाब देहन्दा अम्बालाल खसरा नम्बर 3/2 मौजा रतनपुरा का काबिज काश्तकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। सायलान ने मौके स्थिति के विपरित झूठा मनि अम्बालालनजरी नक्शा बनाकर के पेश किया है। जवाब देहन्दा मौजा रतनपुरा में स्थित खसरा नम्बर 3/2 की भूमि का काबिज काश्तकार है तथा सायलान की भूमि से जवाब देहन्दा का कोई सम्बन्ध नहीं है। मौके पर सायलान की भूमि अलग है तथा जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त की भूमि अलग है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। साथ ही यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि मौजा रतनपुरा पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 3/2 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा के काबिज खातेदार काश्त मोहनलाल जाट व अन्य रहे है। जिसमें कुछ भू भाग एन एच 458 के लिये राज्य सरकार द्वारा अवाप्त करने के बाद शेष रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा बचा है। उक्त भूमि मोहनलाल जाट व अन्य द्वारा काश्त के प्रयोजनार्थ जवाब देहन्दा अम्बालाल को सोपी हुई है। इस प्रकार से जवाब देहन्दा अम्बालाल खसरा नम्बर 3/2 मौजा रतनपुरा का काबिज काश्तकार है। तथा खसरा नम्बर 3/2 की भूमि का कुछ भू भाग एन एच 458 के लिये अवाप्त हुआ। उस समय अवाप्ति की मुआवजा राशि मोहनलाल जाट व अन्य को मिली है। जिससे सम्बन्धित दस्तावेजी सबूत भी इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, सायलान ने दिनांक 09.06.2020 को अतिक्रमण कर लेने एवं विवाद करने से सम्बन्धित जवाब देहन्दा पर झूठे आरोप लगाये है जो कतई ... है जो भी अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। साथ ही यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि मौजा रतनपुरा पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में स्थित अम्बालालखसरा नम्बर 3/2 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा के काबिज खातेदार काश्त मोहनलाल जाट व अन्य रहे है। जिसमें कुछ भू भाग एन एच 458 के लिये राज्य सरकार द्वारा अवाप्त करने के बाद शेष रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा बचा है। उक्त भूमि मोहनलाल जाट व अन्य द्वारा काश्त के प्रयोजनार्थ जवाब देहन्दा अम्बालाल को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हुई है। इस प्रकार से जवाब देहन्दा अम्बालाल खसरा नम्बर 3/2 मौजा नपुरा का काबिज काश्तकार है। इस प्रकार से जवाब देहन्दा पर अतिक्रमण बाबत झूठे आरोप लगाये है। जब जवाब देहन्दा सायलान की भूमि पर न तो कोई कब्जा किया है न ही कोई अतिक्रमण किया है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होने सायलान जवाब देहन्दा के विरुद्ध बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के भी अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 मंद वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। साथ ही इस पद में वर्णित तथ्यो बाबत पूर्ण में ही विस्तृत रूप से जवाब दिया जा चुका है तथा सायलान जवाब देहन्दा से मुआवजा राशि पाने के भी कतई अधिकारी नही है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित अतिक्रमण बाबत कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। अन्य तथ्य कानूनी है जो काबिल गौर अदालत के है। इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबूनियाद है तथा उक्त भूमि पर जवाब देहन्दा की है, जिस पर जवाब देहन्दा का भी कब्जा काश्त व अधिकार चला आ रहा है। इसलिए समस्त तथ्यो व परिस्थितियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायलान बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगा। सायलान ने इस प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कतई गलत होने से खारिज किया जावें। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। और उस पर मनन किया। हमनें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारभूत बिन्दुओं के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णीत करना समुचित समझते हैं:-

<u>1- प्रथमदृष्ट्या मामला:-</u> प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी अम्बालाल के विरुद्ध हस्तगत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनकी खातेदारी [illegible] के खसरा संख्या 488/1006 रकबा 05 बीघा किस्म बारानी दोयम [illegible] खेत के पश्चिम में रायपुर मेड़ता मेगा हाइवे निकलता है [illegible] अधिकार के बिना हमारी खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण [illegible] अतः वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जावें। [illegible]र्थी द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 488/1006 ग्राम जैतारण में स्थित है जबकि वादग्रस्त भूमि ग्राम रतनपुरा के खसरा संख्या 03/02 का हिस्सा है, जिसका प्रार्थीगण खातेदार नहीं है। खसरा संख्या 03/02 के खातेदारान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नलाल आदि द्वारा अप्रार्थी को काश्त प्रयोजनार्थ सौपीं हुई है। अतः प्रार्थीगण के न झूठे होने से अस्वीकार है।

न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब कि गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण खेत ग्राम जैतारण के खसरा संख्या 488/1006 है जबकि विवादित भू खण्ड जो कि प्रार्थीगण की भूमि एवं एनएच 458 के मध्य स्थित है। जो ग्राम रतनपुरा में आता है। जो प्रार्थीगण की खातेदारी का हिस्सा नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित स्थल प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी का हिस्सा नहीं होने से इसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होना साबित नहीं होता है।

2– सुविधा का संतुलन :– चुंकि पूर्व विवेचित बिन्दु संख्या 01 प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुआ है साथ ही विवादित भू खण्ड प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी का हिस्सा नही है, अतः इस सम्बन्ध में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

3– अपूरणीय क्षति :– पूर्व विवेचित बिन्दु प्रथमदृष्ट्या मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुये है, साथ ही प्रार्थीगण विवादित भू खण्ड के खातेदार नहीं है। अतः इनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करनें से इन्हीं किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने की कोई आशंका नहीं है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–: *आदेश* :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:52 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 23/12/2021 को [illegible]

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)